

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.) वनमण्डल (म.प्र.)

पता - कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001

E-Mail : dfotsbetul@mp.gov.in, dfotsbetul@gmail.com

Ph. & Fax No. 07141-234266

क्रमांक / मा.चि. / 411

बैतूल, दिनांक 23/03/2026

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक  
(भू-प्रबंध) भोपाल

विषय :- बैतूल जिले के अंतर्गत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 20.14 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत। (प्रकरण क्र./FP/MP/IRRIG/37074/2018)

- संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6-MPR/025/2022/BHO दिनांक 01.01.2026
2. आपका पत्र क्र./एफ-3/17/2019/10-11/2 दिनांक 10.01.2026
3. कार्यालयीन पत्र क्र./मा.चि./901, 902 दिनांक 16.02.2026
4. वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल का पत्र क्र./मा.चि./2026 दिनांक 17.03.2026

- 0 -

निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण संबंधी निम्नानुसार 02 बिन्दुओं की चाही गई जानकारी प्रस्तुत करने हेतु आपके संदर्भित पत्र दिनांक 10.01.2026 से वनमंडल कार्यालय को लेख किया गया है। बिन्दु क्रमांक-01 की कार्य आयोजना अधिकारी बैतूल एवं बिन्दु क्रमांक-02 की वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

बिन्दु क्रमांक	जानकारी	विवरण
01	प्रस्ताव से संबंधित e-mail के माध्यम से प्रेषित revised KML file चाहे गये मानको के अनुरूप नहीं है एवं revised KML file, online portal में अपलोड नहीं है। अतः संशोधित KML file, online portal में अपलोड किये जाने का कष्ट करे।	प्रकरण में प्रश्नाधीन वनखण्ड-49 (सीमांकित संरक्षित वनकक्ष क्र. P-1101) की सुधारित (revised) KML फाईल कार्यालय वनसंरक्षक कार्य आयोजना इकाई बैतूल के कार्यालयीन ई-मेल दिनांक 03.11.2025 से वनमंडल कार्यालय में प्राप्त एवं वनमंडल कार्यालयीन पत्र क्र./मा. चि./1866 दिनांक 03.11.2025 एवं ई-मेल दिनांक 03.11.2025 से आपके कार्यालय प्रेषित की गई थी। Revised KML file, online portal में अपलोड की कार्यवाही वन मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी एवं भू-प्रबंध कक्ष द्वारा होनी है।
02	प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA) का क्षेत्र पहले से गुंजर रही ट्रांसमिशन लाइन के व्यपवर्तन क्षेत्र में शामिल है और यदि अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता होती है तो उसे CA के लिये प्रस्तावित क्षेत्र में जोड़ा जाएगा से संबंधित राज्य शासन के अभिमत सहित प्रेषित किया जाये।	वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल के संदर्भित पत्र अनुसार ग्राम-चापड़ा रैयत, पटवारी हल्का-पहावाड़ी, तहसील-शाहपुर की भूमि खसरा नंबर-17/1 (स) रकबा-50.140 हे. में से 9.28 हे. तथा खसरा नंबर-17/2 (स) रकबा-35.00 हे., इस प्रकार कुल 44.28 हे. क्षेत्र वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। मेंढा मध्यम परियोजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित वनभूमि 20.14 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग में देने के एवज में दोगूना क्षेत्र 40.28 हे. होता है। खसरा नंबर-17/2 (स) रकबा-35.00 हे. में से उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) द्वारा प्रस्तुत मौका स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार ट्रांसमिशन लाईन का (400 मीटर लंबाई X 52 मीटर चौड़ाई = 20800 वर्ग मीटर) 2.08 हे. क्षेत्र में पॉवरलाईन गुजर रही है।

		<p>वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का कुल रकबा 44.28 हे. क्षेत्र राजस्व विभाग से हस्तांतरित करा लिया गया है, जो कि 4.00 हे. अधिक है।</p> <p>4.00 हे. अधिक क्षेत्र जिसमें पॉवरलाईन गुजर रही है को सुरक्षा की दृष्टि से वृक्षारोपण क्षेत्र में शामिल किया गया है। अतः प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी।</p>
--	--	--

बिन्दु क्रमांक-01 अनुसार प्रश्नाधीन क्षेत्र की सुधारित KML फाईल (Revised KML file) पुनः आज ई-मेल दिनांक 23.03.2026 एवं वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल के संदर्भित पत्र की छायाप्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु हार्डकॉपी में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



(अरिहंत कोचर)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी,

दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल  
बैतूल, दिनांक /03/2026

पृ. क्रमांक/मा.चि./  
प्रतिलिपि :-

1. वनसंरक्षक, वन वृत्त बैतूल म.प्र. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्य आयोजना अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-2 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



वनमंडलाधिकारी,  
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

DM

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- [dfotnbetul@mp.gov.in](mailto:dfotnbetul@mp.gov.in)

क्रमांक/सा0चि0/2026/ 1669

बैतूल, दिनांक/ 17/03/2026

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,  
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

1990  
18-03

विषय :- बैतूल जिले के अंतर्गत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 20.14 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत। (FP /MP/ IRRIG/ 37074 / 2018)

संदर्भ :- आपका पृ. पत्र क्रमांक/ साचि./ 489 दिनांक 16.01.2026

-00-

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र दिनांक 01.01.2026 के बिंदु क्रमांक - 2 अनुसार चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :-



बिंदु क्रमांक - 2	वनमंडल की टीप
प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) का क्षेत्र पहले से गुजर रही ट्रांसमिशन लाइन के व्यपवर्तन क्षेत्र में शामिल है और यदि अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता होती है तो उसे CA के लिये प्रस्तावित क्षेत्र में जोड़ा जाएगा से संबंधित राज्य शासन के अभिमत सहित प्रेषित किया जाये।	ग्राम चापड़ा रैयत पटवारी हल्का पहावाड़ी तहसील शाहपुर की भूमि खसरा नंबर - 17/1 (स) रकबा- 50.140 हे. में से 9.28 हे. तथा खसरा नंबर - 17/2 (स) रकबा- 35.00 हे. इस प्रकार कुल 44.28 हे. क्षेत्र वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। मेंढा मध्यम परियोजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित वनभूमि 20.14 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग में देने के एवज में दोगुना क्षेत्र 40.28 हे. होता है। खसरा नंबर - 17/2 (स) रकबा- 35.00 हे. में से उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) द्वारा प्रस्तुत मौका स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार ट्रांसमिशन लाइन का (400 मीटर लंबाई X 52 मीटर चौड़ाई = 20800 वर्ग मीटर) 2.08 हे. क्षेत्र में पाँवरलाइन गुजर रही है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का कुल रकबा 44.28 हे. क्षेत्र राजस्व विभाग से हस्तांतरित करा लिया गया है, जो कि 4.00 हे. अधिक है। 4.00 हे. अधिक क्षेत्र जिसमें पाँवरलाइन गुजर रही है को सुरक्षा की दृष्टि से वृक्षारोपण क्षेत्र में शामिल किया गया है। अतः प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी।


वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

पृ.क्र./मा0चि0/2026/ 1670

बैतूल, दिनांक/ 17/03/2026

प्रतिलिपि :- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक - 2 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



वनमण्डलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश**

वन भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/17/2019/10-11/2/  
प्रति,

दिनांक: ई-साइन अनुसार

वनमण्डलाधिकारी,  
(सा0) वनमण्डल दक्षिण बैतूल,  
मध्यप्रदेश।

**विषय:- बैतूल जिले के अंतर्गत मेढा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 20.14 हे. वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/37074/2018)**

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र दिनांक 01/01/2026.

--00--

विषयांकित परियोजना के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर प्रस्ताव से संबंधित वांछित जानकारियां / स्पष्टीकरण चाहा गया है :-

1. प्रस्ताव से संबंधित e-mail के माध्यम से प्रेषित revised KML file चाहे गये मानकों के अनुरूप नहीं है एवं revised kml file, ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड नहीं है। अतः संशोधित KML file, ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड करें।
2. प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) का क्षेत्र पहले से गुजर रही ट्रांसमिशन लाइन के व्यपवर्तन क्षेत्र में शामिल है और यदि अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता होती है तो उसे CA के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में जोड़ा जाएगा से संबंधित राज्य शासन के अभिमत सहित प्रेषित किया जाये।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी तैयार की जाकर प्रस्ताव ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करते हुए इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by  
Hari Shankar Mohanta  
Date: 10-01-2026  
07:24:19

(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) बैतूल वृत्त बैतूल, मध्यप्रदेश।
  2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं-2, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सा.)

क्र.मा.चि. 489 बैतूल दिनांक 16/01/2026

प्रतिलिपि:- 1) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।  
2) वनमण्डलाधिकारी उच्च बैतूल (सा.) वनमण्डल को सूचनार्थ का लेख लिख कर दिनांक 16/01/2026 को प्रेषित करें।  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी  
दक्षिण बैतूल (सा.)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,  
BHOPAL – 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक: 6-एमपीआर 025/2022-बीएचओ/

दिनांक : As per e-signed.

प्रति,

**प्रधान सचिव (वन)**

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

वल्लभ भवन, भोपाल

(मध्यप्रदेश) ।

**विषय:** बैतूल जिले के अन्तर्गत 20.14 हेक्टेयर संरक्षित एवं असीमांकित वनभूमि मेढा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक-2 बैतूल को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/IRRIG/37074/2018) ।

**संदर्भ:** 1) कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 025/2022-बीएचओ दिनांक 20/10/2023.

2) अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध), म.प्र. का पत्र क्रमांक एफ-3/17/2019/10-11/2 दिनांक 24/11/2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि नोडल अधिकारी, म.प्र. के पत्र दिनांक 24/11/2025 (संदर्भित पत्र-2) द्वारा प्रेषित जानकारी के अतिरिक्त प्रस्ताव से संबंधित अन्य वांछित जानकारियाँ/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । अतः निम्नलिखित जानकारियाँ/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

- 1) प्रस्ताव से संबंधित e-mail के माध्यम से प्रेषित revised KML file चाहे गये मानको के अनुरूप नहीं है एवं revised kml file, online portal में अपलोड नहीं है । अतः संशोधित KML file, online portal में अपलोड किये जाने का कष्ट करें ।
- 2) प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) का क्षेत्र पहले से गुजर रही ट्रांसमिशन लाइन के व्यवर्तन क्षेत्र में शामिल है और यदि अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता होती है तो उसे CA के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में जोड़ा जाएगा से संबंधित राज्य शासन के अभिमत सहित प्रेषित किया जाये ।

उपरोक्त जानकारी प्रेषित किये जाने का अनुरोध है जिससे प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके।

Digitally signed by

Rajesh Dashrath Darade

Date: 01-01-2026

13:14:19

(राजेश दराडे)

सहा. वनमहानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।